

Confidential

MEMORANDUM

Minister-in-Charge

Labour Minister, Haryana

Administrative Secretary


Principal Secretary to Govt.,
Haryana, Labour Department.

**Subject: Annual Administrative Report of the Labour Department,
Haryana for the Year 2016.**

The Annual Administrative Report of the Labour Department, Haryana for the Year, 2016 at Annexure 'C' alongwith a review and critique thereon placed at Annexure 'A' and 'B' is submitted for consideration of the Council of Ministers under instructions issued by the Chief Secretary to Government, Haryana vide U.O. No 53/12/81-6PP, dated 02.07.1982.

Prior approval of the Hon'ble Chief Minister has been obtained for placing the matter before the Council of Ministers.

Dated, Chandigarh the
02-08-2019


Vineet Garg
Principal Secretary to Govt. Haryana,
Labour Department.

ANNEXURE –A


REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT ON THE WORKING OF LABOUR DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR, 2016

1. Sh. Wazir singh Goyat, IAS remained posted as Labour Commissioner, Haryana from 01-01-2016 to 02-05-2016 and Sh. Pankaj Agarwal, IAS form 02-05-2016 to 31-12-2016.
2. The Administrative Control of the Department remained under Smt. Shashi Gulati, IAS, Additional Chief Secretary to Government of Haryana from 01-01-2016 to 25-04-2016, Sh. Anurag Rashtogi, IAS, Principal Secretary to Government of Haryana from 26-04-2016 to 18-05-2016, Sh A.K. Singh, IAS, Principal Secretary, to Government of Haryana from 25-05-2016 to 10-06-2016, Dr. Mahavir Singh, IAS, Principal Secretary to Government of Haryana form 11.06.2016 to 19.09.2016 and Sh. Vijai Vardhan, IAS, Additional Chief Secretary to Government of Haryana from 19.09.2016 to 31.12.2016.
3. During the year under report:-
 - a. There were 2 work Stoppages/Lockouts during the year 2016. One work Stoppages/Lockout was prohibited by the state government and matter under dispute was refer to Industrial Tribunal-cum-Labour Court and one work stoppage/lockout continued. These work-stoppages affected 844 workers and resulted in a loss of 78098 mandays. The loss of wages and production was Rs.4.91 Crore and 15.14 crore respectively.
 - b. The conciliation officers of the department handled 4358 disputes. Out of these settlements were brought out in 1072 cases. 388 cases were withdrawn, 206 were filed/ rejected and 2170 were sent for adjudication and 522 disputes remained pending at the end of the year.
 - c. 528 awards and 25 agreements were pending for implementation at the beginning of the year. 85 awards/ agreements were added during the year under review. Out of these 613 awards and 25 agreements, 48 awards/agreements were got implemented. Thus 565 awards and 25 agreements remained pending for implementation at the end of the Year. As such the percentage of implementation of awards and agreements comes to 7.83%.
 - d. 2136 complaints of the workers regarding delayed payment of wages, less payment of wages, termination of services, leave and hours of work etc. were handled by the field staff of the department, of which 1881 were settled to the satisfaction of the workers leaving a balance of 255 complaints pending at the close of the year. As Such 88.06 percentages of complaints have been settled.
 - e. There were 6185 establishments employing 50 or more worker. Out of it 1815 industrial establishments had certified Standing Orders. 43 Standing Orders were

- certified during the year. Thus the number of certified Standing Orders at the end of the year rose to 1858 giving employment to about 286313 workers.
- f. At the beginning of the year there were 1651 registered Trade Unions in the State. During the year 24 new unions were registered and no union was de-registered thus at the end of the year the number increased to 1675.
 - g. 613 new factories were registered and 192 Factories de-registered under the Factories Act, 1948. Thus the total number of registered factories rose to 11995 at the end of the year giving employment to 898466 workers. There occurred 132 accidents in registered factories during the year of which 62 were fatal and 70 were serious in nature.
 - h. The Punjab shops and Commercial Establishments Act, 1958 remained applicable in whole of the State. The number of shops, commercial establishments, cinemas and hotels etc. were 413146 employing 16,46,405 workers.
 - i. During the year under review 11314 inspections were conducted under various labour laws. 1937 prosecutions were launched and convictions were obtained in 2574 cases. As a result of it a sum of Rs. 64,83,696 lacs was realised as fine. Warnings after compliance of violations were issued in 2043 cases to employer.
 - j. An amount of Rs. 2939.31 lac has been disbursed to the workers under 22 Welfare Schemes of Haryana Labour Welfare Board during the year 2015 out of which an amount of Rs. 738.85 Lac was disbursed to the dependents/widows of deceased industrial workers and an amount of Rs. 558.87 lac has been spent under 'Kanyadaan Scheme' as Kanyadaan for self marriage in case of female workers and for the marriage of daughters of industrial workers. 1097 workers have been benefitted under Kanyadaan scheme.
 - k. The Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board has come into force w.e.f. 02.11.2006. The Board is running various schemes for the welfare of building and other construction workers in the State like Financial Assistance for Education, Maternity, Marriage Assistance (Kanyadaan), Tools, Cycle, Financial Assistance in case of Accidental and Natural Death, Old age pension, Disability pension, Financial Assistance for Disabled Children etc., Special Financial Assistance for Women Construction Worker under the scheme Mukhya Mantri Mahila Sharmik Samman Yojna and Sewing machine is also being provided by the Board. In addition to these schemes the registered construction workers are also being provided health facilities at the work site through the Health Department, facilities of Mobile Toilets, Mobile Creche and Labour shed at Labour Chowks of the important towns of the State. The funds collected as cess is primarily utilized for the welfare of registered Building and Other Construction Workers. An amount of Rs. 65.97/- Crore have been spent for extending benefits to 54776 beneficiaries on welfare schemes during the

period 1st January to 31st December, 2016. However the cess amount of Rs. 223.56/-
crore was collected during the calendar year 2016.

02-08-2019



(Vineet Garg)

Principal Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

ANNEXURE-'B'


CRITIQUE ON THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE LABOUR DEPARTMENT FOR THE YEAR-2016.

During the year under report the working of the Labour Department remained satisfactory. There were 2 work Stoppages/Lockouts during the year 2016. One work Stoppages/Lockouts was prohibited by the state government and matter under dispute was refer to Industrial Tribunal-cum-Labour Court and one work stoppage/lockout continued. These work-stoppages affected 844 workers and resulted in a loss of 78098 mandays. The loss of wages and production was Rs.4.91 Crore and 15.14 crore respectively.

The work relating to implementation of labour laws was also satisfactory. During the year 11314 inspections were conducted and in 1937 cases, prosecutions proceedings were launched. Convictions were obtained in 2574 cases and as a result of it a sum of Rs.64,83,696 /- were realised as a fine.

An amount of Rs. 2939.31 lac has been disbursed to the workers under 22 Welfare Schemes of Haryana Labour Welfare Board during the year 2015 out of which an amount of Rs. 738.85 Lac was disbursed to the dependents/widows of deceased industrial workers and an amount of Rs. 558.87 lac has been spent under 'Kanyadaan Scheme' as Kanyadaan for self marriage in case of female workers and for the marriage of daughters of industrial workers. 1097 workers have been benefitted under Kanyadaan scheme.

The Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board has come into force w.e.f. 02.11.2006. The Board is running various schemes for the welfare of building and other construction workers in the State like Finanacial Assistance for Education, Maternity, Marriage Assistance (Kanyadaan), Tools, Cycle, Financial Assistance in case of Accidental and Natural Death, Old age pension, Disability pension, Financial Assistance for Disabled Children etc., Special Financial Assistance for Women Construction Worker under the scheme Mukhya Mantri Mahila Sharmik Samman Yojna and Sewing machine is also being provided by the Board. In addition to these schemes the registered construction workers are also being provided health facilities at the work site through the Health Department, facilities of Mobile Toilets, Mobile Creche and Labour shed at Labour Chowks of the important towns of the State. The funds collected as cess is primarily utilized for the welfare of registered Building and Other Construction Workers. An amount of Rs. 65.97/- Crore have been spent for extending benefits to 54776 beneficiaries on welfare schemes during the period 1st January to 31st December, 2016. However the cess amount of Rs. 223.56/- crore was collected during the calendar year 2016.


(Vineet Garg)

Principal Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

02-08-2019

गोपनीय

ज्ञापन

कार्यभारी मंत्री

प्रशासकीय सचिव

श्रम मंत्री, हरियाणा।

प्रधान सचिव, श्रम हरियाणा,
सरकार, श्रम विभाग।

विषय:- श्रम विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट।

श्रम विभाग, हरियाणा की वर्ष, 2016 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट अनुबन्ध 'स' पर अनुबन्ध 'अ' तथा 'ब' पर इसकी समीक्षा एवं समालोचना सहित मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के अशा: क्रमांक 53/12/81-6पी0पी0, दिनांक 02.07.1982 द्वारा जारी की गई हिदायतों अनुसार मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

इस मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के लिए मुख्य मंत्री महोदय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

दिनांक, चण्डीगढ़
02-08-2019

विनीत गर्ग
विनीत गर्ग,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

अनुबन्ध "अ"
समीक्षा

श्रम विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

1. दिनांक 1 जनवरी, 2016 से 02 मई, 2016 तक श्री वजीर सिंह गोयत, आई.ए.एस., तथा 02 मई, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक श्री पंकज अग्रवाल, आई.ए.एस., श्रम आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ में कार्यरत रहे।
2. विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण दिनांक 1 जनवरी, 2016 से 25 अप्रैल, 2016 तक श्रीमति शशी गुलाटी, आई.ए.एस., अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, दिनांक 26.04.2016 से 18.05.2016 तक श्री अनुराग रस्तोगी, आई.ए.एस., प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, दिनांक 25.05.2016 से 10.06.2016 तक श्री ए०के० सिंह, आई.ए.एस. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, दिनांक 11.06.2016 से 19.09.2016 तक डॉ० महावीर सिंह, आई.ए.एस., प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार तथा दिनांक 19.09.2016 से 31.12.2016 तक श्री विजय वर्धन, आई.ए.एस., अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास रहा।
3. इस वर्ष की रिपोर्ट का वर्णन निम्न प्रकार है:-
 - क) वर्ष 2016 के दौरान हड़ताल/तालाबन्दी के 2 केस हुए, जिसमें से एक कार्यबन्दी/तालाबन्दी पर सरकार द्वारा रोक दी गई है और मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायलाय के अधीन है तथा एक कार्यबन्दी/तालाबन्दी जारी है। इन कार्यबन्धियों/तालाबन्धियों के कारण 844 श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा और 78098 श्रम दिवसों की क्षति हुई है। मजदूरी तथा उत्पादन क्षति क्रमशः 4.91 करोड़ रुपये तथा 15.14 करोड़ रुपये हुई है।
 - ख) समझौता अधिकारियों ने 4358 केसों को डील किया, जिनमें से 1072 मामलों में समझौता करवाया गया। 388 मामले वापिस लिये गये, 206 मामले रद्द व फाईल किये गये तथा 2170 विवाद अदालती निर्णय के लिए भेजे गये। अतः वर्ष के अन्त में 522 मामले लम्बित रहे।
 - ग) वर्ष के आरम्भ में 528 पंचाट तथा 25 समझौते परिपालना हेतु लम्बित थे वर्ष के दौरान 85 पंचाट/समझौते प्राप्त हुये। कुल 613 पंचाट तथा 25 समझौतों में से 48 पंचाट/समझौते लागू करवाये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में 565 पंचाट तथा 25 समझौते परिपालना के लिए लम्बित रहे। पंचाट की परिपालना क्रमशः 7.83 प्रतिशत रही।
 - घ) इसके अतिरिक्त विभाग के क्षेत्रीय स्टाफ ने श्रमिकों को देरी से वेतन देने, कम वेतन देने, नौकरी से हटाने तथा काम के घण्टों आदि से सम्बन्धित 2136 शिकायतों पर कार्यवाही की तथा 1881 शिकायतों का श्रमिकों की सन्तुष्टी अनुसार निपटारा

- करवाया गया। 255 शिकायते वर्ष के अन्त में लम्बित रही। इस प्रकार शिकायतों के निपटान का प्रतिशत 88.06 रहा।
- ड) वर्ष के आरम्भ में 6185 औद्योगिक संस्थाएँ आवर्णित थी, जहाँ 50 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते थे। वर्ष के आरम्भ में 1815 औद्योगिक संस्थाओं में स्थाई आदेश प्रमाणित थे। वर्ष के दौरान 43 स्थाई आदेश प्रमाणित किये गये। इस प्रकार रिपोर्ट की अवधि के अन्त में 1858 संस्थाओं के पास प्रमाणित स्थाई आदेश थे, जिनमें लगभग 286313 श्रमिक कार्य करते थे।
- च) वर्ष के आरम्भ में 1651 यूनियन पंजीकृत थी तथा 24 नई यूनियन पंजीकृत की गई तथा कोई यूनियन अपंजीकृत नहीं हुई। इस प्रकार वर्ष के अन्त में इनकी संख्या बढ़ कर 1675 हो गई।
- छ) इस अवधि के दौरान 613 नये कारखाने कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये तथा 192 कारखाने अपंजीकृत किये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में पंजीकृत कारखानों की संख्या बढ़कर 11995 हो गई। इन पंजीकृत कारखानों में 898466 श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। वर्ष के दौरान पंजीकृत कारखानों में 132 दुर्घटनाएँ हुई, जिनमें 62 घातक तथा 70 गम्भीर थी।
- ज) पंजाब दुकानात तथा वाणिज्य संस्थापना अधिनियम, 1958 पूरे राज्य में लागू रहा। वर्ष 2016 तक दुकानों, वाणिज्यक संस्थापनाओं, सिनेमा एवं होटल आदि की संख्या 4,13,146 रही। जिनमें 16,46,405 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया हुआ है।
- झ) समीक्षा अधीन वर्ष के दौरान विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 11314 निरीक्षण किये गये। 1937 मामलों में चालान दायर किये गए। 2574 मामले दोषपूर्ण सिद्ध हुए जिनके फलस्वरूप 6483696 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किये गये तथा 2043 मामलों में चेतावनियाँ दी गई।
- ण) हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2016 के दौरान श्रमिकों के कल्याण के लिए 22 कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 2939.31 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। जिसमें से 738.85 लाख रुपये उक्त श्रमिकों के आश्रितों एवं विधवाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किये गये तथा 558.87 लाख रुपये कन्यादान योजना के तहत महिला श्रमिकों की स्वयं की शादी या श्रमिकों की लड़कियों की शादी हेतु कन्यादान के रूप में प्रदान किये गये। कन्यादान योजना के तहत 1097 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया।
- त) हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड दिनांक 02.11.2006 से अस्तित्व में आया है। बोर्ड द्वारा राज्य में भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं जैसे कि शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व, शादी (कन्यादान) सहायता, औजार, साईकिल, दुर्घटना एवं प्राकृतिक मृत्यु के लिए वित्तीय सहायता, बुढ़ापा पेंशन, अपंगता पेंशन, अपंग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता इत्यादि। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के लिए

मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के अन्तर्गत विशेष वित्तीय सहायता एवं सिलाई मशीन भी बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है और राज्य के मुख्य कस्बों/शहरों में श्रमिकों के लिए लेबर चौक पर लेबर शैड, मोबाईल कैंच की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। सैस के रूप में एकत्रित की गई राशि प्रमुखतः भवन एवं सन्निर्माण में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण के लिए उपयोग की जाती है। बोर्ड द्वारा 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर 2016 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 54776 लाभार्थियों पर 65.97 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। बोर्ड द्वारा वर्ष 2016 में 223.56 करोड़ रुपये सैस एकत्रित किया गया है।

विनीत गर्ग

(विनीत गर्ग)

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

02-08-2019

अनुबन्ध "ब"

श्रम विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट पर समालोचना।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान श्रम विभाग का कार्य संतोषजनक रहा। वर्ष 2016 के दौरान हड़ताल/ तालाबन्दी के 2 केस हुए तथा एक कार्यबन्दी/तालाबन्दी सरकार द्वारा रोक दी गई है और मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायलाय के अधीन है तथा एक कार्यबन्दी/तालाबन्दी जारी है। इन कार्यबन्दियों/तालाबन्दियों के कारण 844 श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा और 78098 श्रम दिवसों की क्षति हुई है। मजदूरी तथा उत्पादन क्षति क्रमशः 4.91 करोड़ रुपये तथा 15.14 करोड़ रुपये हुई है।

श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत परिपालना का कार्य सन्तोषजनक रहा। वर्ष के दौरान 11314 निरीक्षण किये गये तथा 1937 मामलों में चालान दायर किये गये। 2574 मामलों में दोष सिद्धियां प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप 64,83,696/- रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किये गये।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2016 के दौरान श्रमिकों के कल्याण के लिए 22 कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 2939.31 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। जिसमें से 738.85 लाख रुपये उक्त श्रमिकों के आश्रितों एवं विधवाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किये गये तथा 558.87 लाख रुपये कन्यादान योजना के तहत महिला श्रमिकों की स्वयं की शादी या श्रमिकों की लड़कियों की शादी हेतु कन्यादान के रूप में प्रदान किये गये। कन्यादान योजना के तहत 1097 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया।

हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड दिनांक 02.11.2006 से अस्तित्व में आया है। बोर्ड द्वारा राज्य में भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जैसे कि शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व, शादी (कन्यादान) सहायता, औजार, साईकिल, दुर्घटना एवं प्राकृतिक मृत्यु के लिए वित्तीय सहायता, बुढ़ापा पेंशन, अपंगता पेंशन, अपंग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता इत्यादि। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के अन्तर्गत विशेष वित्तीय सहायता एवं सिलाई मशीन भी बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं

और राज्य के मुख्य कस्बों/शहरों में श्रमिकों के लिए लेबर चौक पर लेबर शैड, मोबाईल कैच की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। सैस के रूप में एकत्रित की गई राशि प्रमुखतः भवन एवं सन्निर्माण में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण के कल्याण के लिए उपयोग की जाती है। बोर्ड द्वारा 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर 2016 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 54776 लाभार्थियों पर 65.97 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। बोर्ड द्वारा वर्ष 2016 में 223.56 करोड़ रुपये सैस एकत्रित किया गया है।

विनीत गर्ग


(विनीत गर्ग)

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

02-08-2019



LABOUR DEPARTMENT / श्रम विभाग



0172)- 2701373 Fax: (0172)-2701266 दूरभाष : 31 (0172) 2701373 फ़ैक्स: 0172-2701266
e-mail : labourcommissioner@hry.nic.in

Annexure-C/अनुबन्ध- स

श्रम विभाग हरियाणा के कार्य पर 31.12.2016 को समाप्त होने वाले वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट

1. परिचय

श्रम विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक शांति बनाए रखना तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों की प्रभावशाली ढंग से परिपालना करते हुए श्रमिकों तथा नियोजकों के मध्य सदभावना बनाए रखना है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रम विभाग हरियाणा के कार्य सम्बन्धी गतिविधियों तथा उपलब्धियों का उल्लेख वर्ष 2016 की प्रशासनीय रिपोर्ट में निम्न प्रस्तुत है।

2 विभाग प्रशासन:-

दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 02 मई, 2016 तक श्री वजीर सिंह गोयत, आई.ए.एस. तथा 02 मई, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक श्री पंकज अग्रवाल, आई.ए.एस., श्रम आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ में कार्यरत रहे।

इस कथित अवधि के दौरान विभिन्न अधिनियमों के तहत निरीक्षण के लिए समक्ष प्राधिकारी रहे:-

1.	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मुख्य निरीक्षक कारखाना।
2.	मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत मुख्य निरीक्षक।
3.	पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत कल्याण आयुक्त।
4.	व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार।
5.	आंकड़े एकत्र करने के अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत प्राधिकारी।
6.	ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत पंजीकरण एवं लाईसेन्सिंग अधिकारी।
7.	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2-ए के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी।

उपरोक्त कार्य को सफलता पूर्वक चलाने के लिये श्रम आयुक्त की सहायता हेतु मुख्यालय तथा क्षेत्र में निम्नलिखित अमला कार्यरत रहे :-

मुख्यालय पर नियुक्त श्रम विंग का अमला

क्र० सं०	पद संज्ञा	पदों की संख्यां	कार्यरत	रिक्त	टिप्पणी
1.	अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशासन)	1	1	-	
2.	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	1	1	-	
3.	संयुक्त श्रम आयुक्त	1	1	-	
4.	उप श्रम आयुक्त,	2	2	-	
5.	सम्पादक	1	-	1	
6.	लेखा अधिकारी	1	1	-	
7.	आंकड़ा अधिकारी	1	-	1	
8.	श्रम कल्याण अधिकारी	1	-	1	
9.	उप जिला न्यायवादी	1	1	-	
10.	सहायक जिला न्यायवादी	1	-	1	
11.	कार्यालय अधीक्षक	1	1	-	
12.	श्रम निरीक्षक	1	1	-	

मुख्यालय पर नियुक्त कारखाना विंग का अमला

क्र० सं०	पद संज्ञा	पदों की संख्यां	कार्यरत	रिक्त	टिप्पणी
1.	अतिरिक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	1	-	1	
2.	संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	2	1	1	
3.	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	2	2	-	
4.	सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	2	1	1	
5.	उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य	1	1	-	

(ख) क्षेत्रिय अमला

क्र० सं०	पद संज्ञा	पदों की संख्यां	कार्यरत	रिक्त	टिप्पणी
1.	अतिरिक्त श्रम आयुक्त, गुडगांव	1	1	-	
2.	उप श्रम आयुक्त	7	7	-	
3.	संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	1	1	-	
4.	उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य	2	1	1	

5.	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	7	7	—	
6.	सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	20	17	3	
7.	सहायक निदेशक औद्योगिक स्वास्थ्य—कम-सर्टीफाईंग सर्जन	5	4	1	
8.	सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (कैमिकल)	5	5	—	
9.	सहायक श्रम आयुक्त	31	18	13	
10.	कल्याण अधिकारी (महिला)	2	2	—	
11.	श्रम निरीक्षक	87	73	14	

2-1 नियुक्तियां/पदोन्नतियां (क) नियुक्तियां

क्र० सं०	पद संज्ञा	पदों की संख्या
1.	सहायक निदेशक	—
2.	सहायक निदेशक (कैमिकल)	—
3.	उप निदेशक औद्योगिक स्वास्थ्य	—
4.	श्रम तथा समझौता अधिकारी	—
5.	श्रम निरीक्षक	—
6.	लिपिक तथा आशु टंकण	1
7.	सेवादार	—
8.	ड्राफ्ट्समैन	—
9.	चौकीदार	—
10.	जमादार	—
11.	कार्टोग्राफर	—
12.	वरिष्ठ आशुलिपिक	—
13.	कनिष्ठ आशुलिपिक	—
14.	आशुलिपिक	—
15.	ड्राईवर	—
16.	जजमैट राईटर	—

(ख) पदोन्नतियाँ

1	संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	1
2	उप श्रम आयुक्त	2
3	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	2
4	सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य,	—
5	सहायक श्रम आयुक्त	—
6	कल्याण अधिकारी(महिला)	—
7	उप अधीक्षक	2
8	श्रम निरीक्षक	—
9	आकडा सहायक	—
10	सहायक	—
11	रीडर	—

5.	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	7	7	—	
6.	सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	20	17	3	
7.	सहायक निदेशक औद्योगिक स्वास्थ्य—कम—सर्टीफाईंग सर्जन	5	4	1	
8.	सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (कैमिकल)	5	5	—	
9.	सहायक श्रम आयुक्त	31	18	13	
10.	कल्याण अधिकारी (महिला)	2	2	—	
11.	श्रम निरीक्षक	87	73	14	

2-1 नियुक्तियां/पदोन्नतियां (क) नियुक्तियां

क्र० सं०	पद संज्ञा	पदों की संख्या
1.	सहायक निदेशक	—
2.	सहायक निदेशक (कैमिकल)	—
3.	उप निदेशक औद्योगिक स्वास्थ्य	—
4.	श्रम तथा समझौता अधिकारी	—
5.	श्रम निरीक्षक	—
6.	लिपिक तथा आशु टंकण	1
7.	सेवादार	—
8.	ड्राफ्ट्समैन	—
9.	चौकीदार	—
10.	जमादार	—
11.	कार्टोग्राफर	—
12.	वरिष्ठ आशुलिपिक	—
13.	कनिष्ठ आशुलिपिक	—
14.	आशुलिपिक	—
15.	ड्राईवर	—
16.	जजमैट राईटर	—

(ख) पदोन्नतियां

1	संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	1
2	उप श्रम आयुक्त	2
3	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	2
4	सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य,	—
5	सहायक श्रम आयुक्त	—
6	कल्याण अधिकारी(महिला)	—
7	उप अधीक्षक	2
8	श्रम निरीक्षक	—
9	आकडा सहायक	—
10	सहायक	—
11	रीडर	—

3. विभिन्न अधिनियम

श्रम विभाग द्वारा राज्य में निम्नलिखित केन्द्रीय/राज्य विधानों के श्रम अधिनियमों की परिपालना करवाई गई :-

(क) केन्द्रीय विधान

1.	कारखाना अधिनियम, 1948
2.	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
3.	मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
4.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
5.	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
6.	व्यवसाय संघ अधिनियम 1926
7.	औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम,1946
8.	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम,1961
9.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961
10.	बाल श्रमिक, (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986
11.	बोनस संदाय अधिनियम, 1965
12.	श्रमिक पत्र कार, (वेतन नियत करने का) अधिनियम, 1965
13.	श्रमिक पत्रकार(सेवाओं तथा उपबन्धों की शर्त) अधिनियम, 1965
14.	उपदान संदाय अधिनियम,1972
15.	बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम,1976
16.	समान पारिश्रमिक अधिनियम,1976
17.	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम ,1970
18.	अन्तर्राज्य प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979
19.	विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976
20.	भवन और राज्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1996.
21.	सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 1953
22.	श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय संस्थानों को छूट)अधिनियम, 1988.

(ख) राज्य विधान

1	पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958.
2	पंजाब औद्योगिक स्थापना और उत्सव अवकाश तथा आकस्मिक बीमारी छुट्टी अधिनियम, 1965.
3	पंजाब श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम,1965.

(ग) विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत किए गए निरीक्षण एवं चालान आदि का विवरण:-

विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत किये गये निरीक्षण/चालान, दोष सिद्धियाँ, दी गई चेतावनियाँ तथा विभिन्न अपराधों के कारण वसूली/जुर्मानों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	अधिनियम का नाम	निरीक्षण	चालान	दोष सिद्धियाँ	दी गई चेतावनियाँ	उल्घनार्ये	वसूली जुमाना (रूपये)
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	1100	1116	1170	—	629	4572876
2.	वेतन अदायगी अधिनियम, 1936	923	352	146	122	138	606250
3.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	953	64	783	134	277	131600
4.	पंजाब दुकानात तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958	2692	126	188	152	40	334570
5.	पंजाब औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय व त्योहार तथा आकस्मिक व बिमारी की छुट्टी) अधिनियम, 1965	846	51	54	51	107	53500
6.	बोनस अदायगी अधिनियम, 1965	735	16	15	220	139	18500
7.	पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965	219	14	24	4	58	9000
8.	मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961	83	1	—	—	1	—
9.	समानता वेतन अधिनियम, 1976	707	30	24	16	77	109500
10.	प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1961	—	—	—	—	—	—
11.	ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970	611	99	84	144	340	311200
12.	बाल श्रमिक अधिनियम (प्रतिषेध तथा विनियमन), 1986	1421	14	24	45	24	94700
13.	अन्तर्राज्य प्रवासी श्रमिक (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम 1979	234	33	41	22	145	58500
14.	उपदान संदाय अधिनियम, 1972.	711	19	20	90	68	163500
15.	अन्य	79	2	1	—	—	20000
	कुल योग	11314	1937	2574	1000	2043	8483696

(घ) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतें तथा उनका निपटान का विवरण

वर्ष के आरम्भ में लम्बित शिकायतें	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	वर्ष के अन्त में लम्बित शिकायतें
1. 211	1925	2136	255

श्रमिकों से वर्ष 2016 के दौरान कम वेतन मिलने, वेतन देरी से देने, बोनस, छंटनी करने व ओवर टाईम ना देने बारे इत्यादि की उपरोक्त शिकायतें प्राप्त हुई थी।

4. औद्योगिक सम्बन्ध :-

(क) श्रम विभाग का वर्ष 2016 का कार्य संतोषजनक रहा। विभागीय समझौता अधिकारियों ने 2 कार्यबन्दियों/तालाबन्दी में हस्तक्षेप किया जिसमें से एक कार्यबन्दी/तालाबन्दी सरकार द्वारा रोक दी गई है और मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायलाय के अधीन है तथा एक कार्यबन्दी जारी है। निहित श्रमिक संख्या, श्रमिक दिनों की क्षति तथा जिन विवादों पर कार्यवाही की गई एवं जिनमें समझौता करवाया गया, का विवरण निम्न प्रस्तुत तालिका एक व दो में दिया गया है :-

तालिका एक- कार्यबन्दियां

वर्ष	पूर्व वर्ष से चली आ रही कार्यबन्दियों/तालाबन्दियां	इस वर्ष के दौरान हुई कार्यबन्दियों/तालाबन्दियां	कुल कार्यबन्दियों/तालाबन्दियां	श्रमिक दिनों की क्षति	वेतन क्षति	उत्पादन क्षति	श्रमिक निहित संख्या
2015	-	3	3	120156	22.13 लाख	77.16 लाख	589
2016	1	1	2	78098	4.91 करोड़	15.14 करोड़	844

तालिका -दो औद्योगिक विवाद

वर्ष	विवादों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई	धारा 12(3) तथा 18(1) के अन्तर्गत समझौता	यूनियन / श्रमिकों द्वारा वापिस ले लिये गये विवादों की संख्या	रदद / फाईल किये गये विवादों की संख्या	न्यायिक निर्णय के लिये भेजे गये विवादों की संख्या	मध्य- स्थता विवादों की संख्या/ स्थानांतरण के लिये भेजे गए	वर्ष के अन्त में लम्बित विवादों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2015	4678	1065	520	49	2600	-	444
2016	4358	1072	388	206	2170	-	522

(ख) श्रम अदालतें:-

जो औद्योगिक विवाद किसी कारणवश आपसी बात-चीत से सुलझाये नहीं जा सके या श्रम विभाग के समझौता अधिकारी किसी कारण से विवाद सुलझाने में असफल रहे तो विवाद की असफलता रिपोर्ट सरकार को भेजी जाती है। इस के उपरान्त सरकार उचित मामलों को औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायलायो को न्यायनिर्णय हेतु भेजती है। राज्य में 9 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय स्थापित हैं। इन 9 श्रम न्यायालयों में

से तीन फरीदाबाद में, दो गुड़गांव तथा एक-एक रोहतक, अम्बाला, हिसार, तथा पानीपत में स्थापित हैं, जिनका कार्य वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है।

औद्योगिक न्यायधिकरण एवं श्रम न्यायालयों द्वारा वर्ष 2016 के दौरान किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में लम्बित विवादों की संख्या-विविध प्रार्थना-पत्र तथा धारा (33)सी(2) इत्यादि से सम्बन्धित	वर्ष के दौरान प्राप्त विवादों की संख्या (मामलों सहित)	वर्ष के दौरान निपटाये गये विवादों की संख्या (मामलों सहित)	वर्ष के अन्त में लम्बित विवादों की संख्या
2015	7063 (After physical verification)	2441	3758	5746
2016	5746	3890	3030	6606

(ग) बैठकी / छंटनी / कलोजर

इस वर्ष किसी भी 02 संस्थापना में 164 श्रमिक को भिन्न-2 अवधि के लिए ले-ऑफ किया गया। वर्ष के दौरान किसी भी संस्था में किसी भी श्रमिक की छंटनी नहीं की तथा कोई संस्थापना बन्द नहीं हुई है।

(ङ) पंचाटों / समझौतों की परिपालना

वर्ष के आरम्भ में परिपालना के लिये 528 पंचाट एवं 25 समझौते लम्बित थे। वर्ष के दौरान 85 पंचाट / आदेश प्राप्त हुये। इस प्रकार 613 पंचाट 25 समझौतों में से 48 पंचाटों / समझौतों की परिपालना करवाई गई तथा वर्ष के अन्त में 565 पंचाट तथा 25 समझौतों परिपालना के लिये लम्बित रह गये।

वर्ष के आरम्भ में 145 प्रबन्धकों से 545634997.80/- रुपये की वसूली होनी शेष थी। वर्ष के दौरान 16 प्रबन्धकों से 9962308.50/- रुपये की वसूली के केस प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान 5 प्रबन्धकों को 574046/-रुपये की वसूली के आदेश जारी किये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में 156 प्रबन्धकों से 555023260.30/-रुपये की वसूली लम्बित रही।

(च) स्थाई आदेश

इस वर्ष औद्योगिक रोजगार स्थाई आदेश अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत लगभग 6185 औद्योगिक संस्थापनायें आवर्णित थी, जिनमें श्रमिकों की औसतन दैनिक संख्या 7,68,881 थी। वर्ष के आरम्भ में 1815 ऐसी संस्थापनाओं में स्थाई आदेश प्रमाणित थे, जिनमें दैनिक औसतन श्रमिक संख्या 2,81,714 थी। वर्ष के दौरान 43 संस्थापनाओं में

स्थाई आदेश प्रमाणित किये गये। जो वर्ष 2016 के अन्त में बढ़ कर कमशः 1858 तथा 286313 हो गई।

इस वर्ष के आरम्भ में 30 आवेदन पत्र प्रमाणित होने लम्बित थे। वर्ष के दौरान 63 प्रार्थना पत्र और प्राप्त हुये। इन 93 प्रार्थना पत्रों में से 54 का निपटारा वर्ष के दौरान करवा दिया गया। इस प्रकार वर्ष के अन्त में 39 प्रार्थना पत्र लम्बित रहे।

5. व्यापार संघः— व्यापार संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वर्ष के शुरू में 1651 व्यवसाय संघ पंजीकृत थे एवं 24 नये व्यवसाय संघ पंजीकृत किये गये, जिनमें से कोई भी व्यवसाय संघ का पंजीकरण नहीं किया गया। इस प्रकार वर्ष के अन्त में पंजीकृत व्यवसाय संघों की संख्या बढ़ कर 1675 हो गई।

6. कारखानें

(क) कारखानों में समय व कार्य की शर्तों व अन्य सुविधाओं को नियमित करने दुर्घटनाओं को रोकने तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा का ध्यान रखने के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 लागू है।

कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत वर्ष के आरम्भ में 11,574 कारखाने पंजीकृत थे, जिनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या 8,66,461 थी। वर्ष के दौरान 613 नये कारखाने पंजीकृत हुये तथा 192 कारखाने अपंजीकृत हुए। इस प्रकार वर्ष के अन्त में पंजीकृत कारखानों की संख्या बढ़ कर 11,995 तथा कार्यरत श्रमिकों की संख्या 8,98,466 हो गई।

कारखाना अधिनियम के तहत कारखानों से लाईसैंस फीस की राशि लगभग 3,33,29,595.00/- रूपये प्राप्त हुई।

(ख) वर्ष के दौरान विभिन्न पंजीकृत कारखानों में कुल 132 दुर्घटनाये हुई। जिन में से 62 घातक तथा 70 गम्भीर थी। पिछले वर्ष घातक तथा गम्भीर दुर्घटनाओं की संख्या कमशः 42 तथा 48 थी।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधनः— लघु उद्योगों को सुविधा देने के लिये हरियाणा सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को सरल बनाने हेतु इस संशोधन का प्रस्ताव किया है। संशोधन के उपरान्त/अनुसार 20 श्रमिकों से कम वाले कारखाने (विद्युत शक्ति के साथ) तथा 40 श्रमिकों से कम वाले कारखाने (विद्युत शक्ति के बिना) कारखाना अधिनियम, 1948 के दायरे में नहीं आयेंगे। इस संशोधन में ओवर टाईम कार्य का समय 75 घण्टे से 150 घण्टे बढ़ाने का प्रावधान है। यह संशोधन पहली बार पाई

गई उल्लंघनाओं/अपराध को कम्पाउंडिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 हरियाणा विधान सभा में पारित हो चुका है और माननीय राष्ट्रपति महोदय को अनुमति हेतु भेजा हुआ है तथा अभी लम्बित है।

(घ) पंजाब कारखाना नियमों में संशोधन:- विभिन्न प्रावधानों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और श्रमिकों के कल्याण से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने के लिये उद्यमियों/नियोक्ताओं की सुविधा के लिये सरल बनाया गया है। नए नियमों के अनुसार कारखानों के लाईसेंस जारी करने/नवीनीकरण का कार्य व उद्यमियों की सुविधा के लिये अन्य विभिन्न सेवाओं को कुल 45 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा। संशोधित नियम भी हरियाणा के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना न०: 11/16/2016-4 लैब दिनांक 16.03.2016 द्वारा प्रकाशित किये जा चुके हैं।

(ङ) पारदर्शी निरीक्षण प्रणाली:- श्रम विभाग, हरियाणा विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रावधान, स्वास्थ्य, कल्याण और रोजगार की अन्य शर्तों को लागू करता है। इन अधिनियमों के तहत विभिन्न प्रावधानों की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये विभाग ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कारखानों के निरीक्षण के लिये विभिन्न पदाधिकारियों को अधिसूचित किया है। निरीक्षण के दिशा निर्देशों में समय-समय पर बदलाव किया गया, परन्तु इनको ठीक से लागू नहीं करवाया जा सका। इसके अतिरिक्त निरीक्षण की परिपालना में कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी। वर्तमान में प्रचलित निर्देश/दिशानिर्देश जो कि निकट भविष्य में सामने लाया जा रहा है वह पूर्ण रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के अनुसार नहीं है। इसलिये नई व्यापक पारदर्शी निरीक्षण नीति दिनांक 01.01.2016 से लागू की गई है। जिसमें सभी हित धारकों से सुझाव तथा टिप्पणियां मांगी गई थी। इन सुझावों को सम्मिलित करने उपरान्त पारदर्शी निरीक्षण नीति का नया प्रारूप सरकार से अनुमोदित हो गया है। यह स्कीम श्रम नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रावधानों की परिपालना प्रौद्योगिकी तथा नवीनीकरण की सहायता से पारदर्शी रूप से नियंत्रित करेगी। यह स्कीम केवल व्यापार कार्य प्रणाली को ही सरल नहीं बनाएगी बल्कि श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण तथा उनके अधिकारों का संरक्षण भी करेगी। पारदर्शी निरीक्षण नीति निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करेगी :-

- i. व्यापार नियमों को सरल बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करना।

- ii. विभिन्न श्रम कानूनों के तहत वैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन को विनियमित करने में प्रौद्योगिकी व नई खोज को अपनाने व पादर्शी ढंग से लागू करवाने बारे।
- iii. श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा तथा अन्य शर्तों को ध्यान में रखते हुये रोजगार कानूनी रूप से लागू करवाना।
- iv. व्यावसायिक संस्थाओं में दुष्टाचरण तथा उत्पीड़न को रोकने तथा व्यापार को सरल बनाने के लिये तथा निरीक्षण अधिकारियों की मनमानी तथा मनमर्जी को रोकने हेतु।

(च) कम जोखिम वाले कारखानों को निरीक्षण की छूट प्रदान करना:- Ease of doing business तथा राज्य उद्यमी प्रोत्साहन नीति, 2015 के प्रावधानों की अनुपालना के सन्दर्भ में निम्नलिखित श्रेणी के कारखानों को भौतिक निरीक्षण से छूट प्रदान की गई है :-

- i. सभी कम जोखिमपूर्ण कारखाने जिसके पास वैध लाईसेंस है, 50 से कम श्रमिक कार्यरत हैं तथा जिसने सैल्फ सर्टीफिकेशन स्कीम का चयन किया है तथा श्रम नियमों की सिंगल रिटर्न जमा की है।
- ii. Start-up-Establishment कार्य की शुरुआत के बाद दो साल के लिये।
- iii. जिस व्यवसायिक संस्था में कोई भी श्रमिक कार्यरत न हो (केवल पारिवारिक सदस्य ही कार्यरत हों)।
- iv. अन्य कोई व्यवसायिक संस्था जिसको विशेष रूप से सरकार ने छूट प्रदान की हो।
- v. एस0ई0जेड0 में कोई भी व्यवसायिक संस्था।

(छ) तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण/ऑडिट योजना :- तृतीय पक्ष निरीक्षण प्रमाणन लेखा परीक्षा योजना को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा अनुमोदित किया गया है और अधिसूचना न0 11/38/2016-4 लैब दिनांक 10.08.2016 द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण/ऑडिट योजना का मुख्य उद्देश्य व्यापार-नियामन का सरलीकरण, व्यवसाय की सुविधा के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 तथा उसके अन्तर्गत निर्धारित किये गये नियमों की अनुपालना तथा अनावश्यक अधिकारिक निरीक्षण को कम करने के लिए है।

(ज) स्वयं प्रमाणित योजना:- स्वयं प्रमाणित योजना को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा अनुमोदित किया गया है और अधिसूचना नं० 11/39/2016-4 लैब दिनांक 10.08.2016 द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है। इस स्वयं प्रमाणित योजना का लक्ष्य नियोक्ता या व्यवसायी को जोकि कानूनों की पालना करते हुए अपने श्रमिकों और कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखने का इच्छुक है, एक सच्चा, जागरूक तथा कानून का पालन करने वाला बनाना है, श्रम विभाग को श्रमिकों, नियोक्ता तथा व्यवसायी के हितों का ध्यान रखने में सक्षम बनाना है तथा एक अनुकूल, सुरक्षित वातावरण बनाकर नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बीच एक रिश्ता बनाना है।

7. पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक संस्थापना अधिनियम, 1958:- वर्ष 2016 के दौरान दुकानात तथा वाणिज्यिक संस्थापना अधिनियम, समस्त राज्य में लागू था। दुकानों वाणिज्यिक संस्थाओं, सिनेमा तथा होटलों, जलपान गृहों का कुल योग 413146 था, जिनमें 1646405 कर्मचारी कार्य करते थे। समस्त योग में दुकानें तथा वाणिज्य संस्थापनायें 406126 व सिनेमा तथा होटल/ रैस्टोरैन्ट 7020 आते हैं, जिनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या क्रमशः 1594919 व 51486 थी।

8. मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961:-वर्ष के अन्त तक राज्य में 103 पंजीकृत उपक्रम कार्यरत थे। मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम के अधीन वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी 14 उपक्रमों से प्राप्त हुई, जिनमें लगभग 2747 परिवहन कर्मचारी थे। इस वर्ष पंजीकरण/नवीनीकरण फीस के रूप में केवल 29 उपक्रमों से 11,289/- रुपये प्राप्त हुये।

9. न्यूनतम वेतन/वेतन अदायगी अधिनियम, 1948:- श्रम विभाग, श्रमिकों की आर्थिक आवश्यकताओं के प्रति सजग है। राज्य सरकार द्वारा 50 अनुसूचित रोजगारों में विभिन्न श्रेणियों के अकुशल, अर्धकुशल व कुशल श्रमिकों हेतु प्रत्येक अनुसूचित रोजगार में न्यूनतम वेतन निर्धारित/संशोधित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त यदि प्रबन्धक सरकार द्वारा अनुसूचित दर से कम वेतन देता है या वेतन अदायगी में अनियमितता बरतता है तो ऐसी शिकायतें/दावे न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 20 व वेतन अदायगी अधिनियम 1936 की धारा 15(2) के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा निर्णित किये जाते हैं। वर्ष 2016 में कम वेतन देने व वेतन अदायगी सम्बन्धित मामलों के निपटान का ब्यौरा अनुबन्ध "द" पर हैं।

वेतन अदायगी अधिनियम, 1936 के अनुसार श्रमिकों का मासिक वेतन नकद अदा करना पड़ता था। श्रमिकों के वेतन का पूर्ण भुगतान और समय पर सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन लाया गया और अधिसूचित कर दिया गया है। जिसके अनुसार श्रमिकों का वेतन सीधा उनके बैंक खातों में जमा करवाना होगा। इस संशोधन से वेतन में गैर कानूनी कटौती की रोकथाम होगी और समय पर वेतन की अदायगी सुनिश्चित होगी। अतः श्रमिकों का इस सन्दर्भ में शोषण से बचाव होगा।

10. श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 :-नियोजकों से प्राप्त रिटर्नों के अनुसार राज्य की विभिन्न संस्थापनाओं में कोई दुर्घटना नहीं हुई। विभाग के सभी सहायक श्रम आयुक्त जो कथित अधिनियम के अन्तर्गत आयुक्त घोषित हैं, के पास वर्ष के दौरान जो क्लेम प्राप्त हुये तथा जिनका निपटान किया, उनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष के शुरु मे लम्बित क्लेमों की सख्यां	वर्ष के दौरान प्राप्त हुये क्लेमों की सख्यां	वर्ष के दौरान भुगताये गये क्लेमों की सख्यां	वर्ष के अन्त में लम्बित क्लेमों की सख्यां	क्लेमों से प्राप्त मुआवजे की राशी (रूपये में)
1908	802	946	1764	27,44,48,111/-

11. प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1961:-वर्ष 2016 में औद्योगिक संस्थाओं से प्राप्त रिटर्नों के आधार पर इस अधिनियम के अन्तर्गत केवल 1426 महिला श्रमिकों ने प्रसूति सुविधा का लाभ उठाया।

12. बाल श्रमिक प्रथा उन्मूलन:- श्रम विभाग बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्य करता है। जहां कहीं से भी बाल श्रम बारे शिकायत प्राप्त होती हैं, उस पर तत्परता से कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर child labour helpline Number भी जारी किया गया है। बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का संशोधन करते हुये नया नाम बाल श्रम एवं किशोर (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 कर दिया गया है। इस संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान है कि एक बालक कि आयु 14 वर्ष मानी जायेगी और उसका किसी व्यवसाय में व व्यावसायिक प्रक्रिया में कार्य करना पूर्णतः निषेध है। किशोर अवस्था में किसी भी खतरनाक व्यवसाय या व्यावसायिक प्रक्रिया में कार्य करना निषेध है। विभाग द्वारा बेसहारा बच्चों के लिये जिला पानीपत, फरीदाबाद तथा यमुनानगर में पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना की गई है। जिला फरीदाबाद का पुर्नवास केन्द्र दिनांक 26.11.2016 बन्द हो चुका है। पानीपत व यमुनानगर के पुर्नवास केन्द्रों में बच्चों द्वारा मुफ्त रहने, व्यवसायिक शिक्षा एवं खाने पीने

की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिसमें वर्ष 2016 में 76 बच्चों द्वारा इसका लाभ उठा गया है।

13. न्यायालयों में चालानों की संख्या :- वर्ष के आरम्भ में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 28049 चालान लम्बित थे। वर्ष के दौरान 1937 मामलें और दायर किये गये, जिनमें से 2574 मामलों का निपटान किया गया। वर्ष, 2016 के अन्त में मुख्य दण्डाधिकारी की अदालत में 27412 मामलें लम्बित रहे।

14. राज्य चौकसी ब्यूरो से सम्बन्धित सूचना:- विभाग में वर्ष 2016 के दौरान कमशः सर्व श्री पाला राम, उप श्रम आयुक्त, श्री दीपक तनेजा, सहायक निदेशक व जयपाल, रीडर के विरुद्ध राज्य चौकसी ब्यूरो की ओर से जांच लम्बित है।

15. बोनस अदायगी अधिनियम,1965:-इस अधिनियम के अन्तर्गत घोषित निरीक्षकों ने इस वर्ष 735 निरीक्षण किये 16 चालान दायर किये तथा 15 मामलों में 18,500/-रुपये जुर्माना किया गया।

16. पंजाब लेबर वेलफेयर फण्ड एक्ट, 1965 के अन्तर्गत अवितरित राशि, अंशदान की राशि आदि की वसूली :- इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने श्रम कल्याण आयुक्त जो कि बोर्ड के पदेन कल्याण आयुक्त है कि देख रेख में श्रम कल्याण बोर्ड का गठन किया हुआ है। बोर्ड में वर्ष 2016 के दौरान 6110.52 लाख रुपये प्राप्त किये गये हैं, जिनमें से 5869.83 लाख रुपये अंशदान के रूप में, 227.95 लाख रुपये अवितरित राशि के रूप में तथा 12.74 लाख रुपये ब्याज के रूप में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं से प्राप्त किये गये जिनमें से 2939.31 रुपये की राशि लाभार्थियों पर कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर दी गई है। बोर्ड द्वारा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रमिकों की भलाई हेतु 22 योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें से मुख्य योजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

(क) मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना:- श्रमिकों की कार्यस्थल पर काम करते वक्त मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तथा अपंग होने पर 50 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत उक्त वर्ष 2016 में 42 लाभार्थियों को 187.70 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। नवम्बर, 2016 से उक्त योजना के अन्तर्गत औद्योगिक संस्था में आगजनी व भयंकर दुर्घटना की स्थिति में गैर अंशदाता श्रमिकों को भी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।

(ख) मृतक कामगारों की विधवाओं/आश्रितों को वित्तीय सहायता तथा मृतक श्रमिक के दाह संस्कार व अन्य कियाकम हेतु वित्तीय सहायता :- इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा मृतक की विधवा/आश्रित को एक लाख रुपये व दाह संस्कार हेतु 15 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष, 2016 में 643 मृतक श्रमिकों की विधवाओं/आश्रितों को 738.85 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) दुर्घटना या किसी अन्य कारण से अपंगता होने पर श्रमिक को वित्तीय सहायता प्रदान करने बारे :- इस योजना के अन्तर्गत 20 हजार रुपये से 30 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता श्रमिक को प्रदान की जाती है। वर्ष 2016 में इस योजना के तहत 10 श्रमिकों को 2.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(घ) कामगारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना :- वर्ष, 2016 में औद्योगिक श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 8 वीं पास करने उपरान्त से अगली कक्षाओं तक जिनमें स्नात्कोत्तर डिग्री व सभी डिप्लोमा कोर्स सम्मिलित है, हेतु 6 हजार रुपये से 15 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत इस अवधि में 13125 लाभार्थियों को 737.64 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

(ङ) कामगारों की लड़कियों की शादी के उत्सव पर कन्यादान के रूप में वित्तीय सहायता :- इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक श्रमिकों की तीन लड़कियों तक तथा स्वयं महिला कामगार की शादी के अवसर पर बोर्ड द्वारा 51000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2016 में इस योजना के अन्तर्गत 1097 लाभार्थियों को 558.87 लाख रुपयों की राशि प्रदान की गई।

(च) श्रमिकों को नयी साइकिल खरीदने पर बोर्ड की तरफ से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे :- उक्त योजना के अन्तर्गत औद्योगिक कामगारों को बोर्ड की तरफ से 3000 रुपये या साइकिल की वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो की राशि की अदायगी की जाती है। वर्ष 2016 में इस योजना के अन्तर्गत 7963 श्रमिकों को 238.71 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(छ) औद्योगिक श्रमिकों को चश्मों के लिए वित्तीय सहायता देना :- श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा उन औद्योगिक श्रमिकों को जिनकी आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाती है उन्हें

1000 रुपये की राशि चश्में खरीदने के लिए दी जाती है। वर्ष 2016 में इस योजना के अन्तर्गत 468 श्रमिकों को 4.58 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(ज) श्रमिकों की लड़कियों के लिए पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे :- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों की लड़कियों को पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने हेतु 2000 रुपये व पांचवी कक्षा से आठवी कक्षा तक स्कूल की वर्दी, पाठ्य पुस्तकें तथा कापियों आदि के लिए प्रवेश के समय 3000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता केवल तीन लड़कियों तक उपलब्ध करवायी जाती है। वर्ष 2016 में इस योजना के अन्तर्गत 8106 श्रमिकों को 210.40 लाख रुपये प्रदान किए गये।

(झ) कामगारों के अपंग/अंधे/मंदबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता:- इस योजना के अंतर्गत कामगारों के उन बच्चों को 15 हजार रुपये से 20 हजार रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो अपंगता/अंधेपन/मंदबुद्धि का शिकार है। वर्ष, 2016 में इस योजना के अन्तर्गत 180 लाभार्थियों को 31.95 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(ञ) औद्योगिक श्रमिकों के लिए एल0टी0सी0 नाम योजना:-श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा 4 वर्ष के ब्लॉक में एक बार औद्योगिक श्रमिकों के लिए 1000 रुपये की राशि एल0टी0सी0 स्वरूप देने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2016 में इस योजना के अन्तर्गत 1178 लाभार्थियों को 11.78 लाख रुपये प्रदान किये गये।

(ट) महिला कामगारों को नई सिलाई मशीन खरीदने पर वित्तीय सहायता:- इस योजना के तहत बोर्ड द्वारा महिला कामगारों को घरेलू उपयोग हेतु ब्रांडिड नई सिलाई मशीन खरीदने पर 3500 रुपये या मशीन की वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2016 में इस योजना के अन्तर्गत 2315 लाभार्थियों को 80.75 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(ठ) महिला श्रमिकों तथा पुरुष श्रमिकों की पत्नियों को प्रसूति पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे :- श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा महिला श्रमिकों तथा श्रमिकों की पत्नियों को दो लड़कों तथा तीन लड़कियों तक की प्रसूति पर बोर्ड की तरफ से 7000 रू0 की वित्तीय सहायता प्रति प्रसूति उपलब्ध करवायी जाती है। वर्ष 2016 में इस योजना के अन्तर्गत 2112 लाभार्थियों को 147.84 लाख रुपये प्रदान किए गये।

(ड) श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को डैन्टल केयर के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देने बारे :- श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक श्रमिकों को डैन्टल केयर योजना के अन्तर्गत डैन्टल केयर हेतु 2000 रुपये तथा पूर्ण जबड़ा बदलवाने की स्थिति में 5000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। वर्ष 2016 में इस योजना के अन्तर्गत 403 श्रमिकों को 13.35 लाख रुपये प्रदान किये गये।

उक्त योजनाओं के इलावा बोर्ड द्वारा 3 और योजनाओं के अन्तर्गत 24 श्रमिकों के बच्चों की खेलों के प्रति प्रतिभा विकसित करने हेतु 0.93 लाख की राशि, श्रवण शक्ति खो चुके 03 श्रमिक को 0.09 लाख रुपये तथा अपंग हुए 05 श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को ट्राई साईकिल हेतु 0.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त दिनांक 22.11.2016 से सिलीकोसिस रोग से पीड़ित श्रमिकों के कल्याण हेतु "हरियाणा सिलीकोसिस पुर्नवास नीति" का संचालन किया गया है।

18. हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड:- हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड का गठन, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 18 के अन्तर्गत हुआ है। हरियाणा भवन एवम् अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड 2 नवम्बर 2006 से अस्तित्व में आया। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य सन्निर्माण कर्मकार को कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना है, जैसे कि दुर्घटना होने पर तत्काल वित्तीय सहायता, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, सन्निर्माण कर्मकार की साधारण मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं, बुढ़ापा पेंशन, शादी के लिए सहायता इत्यादि एवं समय-2 पर तय की गई अन्य कल्याणकारी योजनाओं का मुल्यांकन करना है।

आय का मुख्य स्रोत

बोर्ड की आय का मुख्य स्रोत नियोक्ता एवं सार्वजनिक कम्पनी से भवन बनाने की लागत पर एक प्रतिशत की दर से लिये जाने वाला सैस है। यह राशि बोर्ड द्वारा उन कर्मकार जो राज्य में सन्निर्माण गतिविधियों में लगे हुए हैं उन पर कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए खर्च किया जाता है।

वर्तमान में बोर्ड द्वारा निर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। 01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं पर हुए खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

(क) **मातृत्व लाभ :-** इस स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक को उसके प्रसव पर 30,000/- रुपये तक की मातृत्व वित्तीय सहायता एवं 6000 रुपये पौष्टिक आहार के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता दो बच्चों के जन्म तक दी जाती है। लेकिन बच्चों के कम को न देखते हुये तीन लड़कियों तक यह सहायता दी जाती है। उपरोक्त अवधि के दौरान 237 पंजीकृत महिला कामगारों को 78.27 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ख) **छात्रवृत्ति योजना:-** पंजीकृत के आश्रित बच्चे जो पहली कक्षा से स्नातकोत्तर में पढ़ रहे हैं। उनको 3000 रुपये से लेकर 12000 रुपये तक वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत मजदूर के जो बच्चे मैडिकल, इंजीनिरिंग, प्रबंधन, एम0सी0ए0, कानूनी फैशन डिजाईनिंग इत्यादि की शिक्षा सरकारी संस्थाओं/कॉलेज/विश्वविद्यालय/आई0 आई0 टी0/आई0 आई0 एम0/एम्स/एन0आई0टी0 इत्यादि से ग्रहण कर रहे हैं, उनके पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति भी बोर्ड द्वारा की जाती है इसके साथ-साथ मेधावी विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से कम है, उनको विशेष वित्तीय सहायता के रूप में मैरिट के आधार पर 250 लड़कों एवं 500 लड़कियों का होस्टल खर्च भी बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। उपरोक्त अवधि के दौरान 20237 पंजीकृत कामगारों को 1219.66 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ग) **कन्यादान योजना:-** इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत कामगार की लड़की की शादी पर 51000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। उपरोक्त अवधि के दौरान 4347 पंजीकृत कामगारों को 2146.86 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(घ) **साईकिल स्कीम:-** इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत कामगार को साईकिल खरीदने हेतु 3000 रुपये की सहायता दी जाती है ताकि कामगार को अपने रोजमर्रा के उपयोग एवं कार्य पर आने जाने की सुविधा हो सके। यह सुविधा 3 वर्ष में एक बार दी जाती है। उपरोक्त अवधि के दौरान 11944 पंजीकृत कामगारों को 499.59 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ङ) **सिलाई मशीन योजना:-** इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत महिला कामगार को सिलाई मशीन खरीदने हेतु 3500 रुपये की सहायता दी जाती है। यह सुविधा पूरे कार्यकाल में एक ही बार दी जाती है, उपरोक्त अवधि के दौरान 4897 पंजीकृत महिला कामगारों को 254.75 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(च) औजार (टूल किट) खरीदने हेतू उपदान:- इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण कामगार को तीन वर्ष में एक बार नये औजार खरीदने हेतू 5000 रुपये की सहायता दी जाती है। उपरोक्त अवधि के दौरान 7645 पंजीकृत कामगारों को 591.21 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(छ) मुख्यमंत्री समाजिक सुरक्षा योजना:- इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत मजदूर की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उनके नामांकित/उत्तराधिकारी को 5 लाख रुपये की सहायता दी जाती है एवं पंजीकृत कामगार की साधारण मृत्यु पर एक लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त 15000 रुपये की वित्तीय सहायता दाह संस्कार के लिए दी जाती है। उपरोक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 1295 पंजीकृत कामगारों एवं 20 अपंजीकृत कामगारों को 1601.81 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। जिसमें 13 अपंजीकृत कामगारों को दी गई वित्तीय सहायता भी शामिल है।

(ज) मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना:- इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत महिला कामगार को उनकी सदस्यता के नवीनीकरण पर साड़ी, सूट, चप्पल, रेन-कोट, छाता, स्वास्थ्यप्रद नैपकिन, कीचन के बर्तन आदि की खरीद करने के लिए 5100/-रुपये की सहायता दी जाती है। उपरोक्त अवधि के दौरान 3687 पंजीकृत महिला कामगारों को 157.37 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त पेंशन, परिवारिक पेंशन, चिकित्सा सहायता, अपंगता सहायता योजना इत्यादि के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उपरोक्त अवधि के दौरान 187 पंजीकृत कामगारों को 23.59 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

कुल स्थिति

1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान 223.56 करोड़ रुपये का सैस एकत्रित किया गया एवं 65.97 करोड़ रुपये 54776 लाभार्थियों पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत खर्च किये गये हैं।

18. बजट:- वर्ष 2015-16 की बजट सम्बन्धी सूचना अनुबन्ध "एफ" पर उद्धृत है।

अनुबन्ध "द"

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 20(2) के अन्तर्गत कम वेतन देने तथा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 15(2) के अन्तर्गत वेतन विलम्ब से अथवा न देने सम्बन्धी दावों का ब्यौरा :-

क्र० सं०	अधिनियम का नाम	वर्ष के आरम्भ में लम्बित दावों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त हुये दावों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाये गये	वर्ष के अन्त में लम्बित	दावों के फलस्वरूप श्रमिकों को दी जाने वाली राशि (रूपये में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936.	1385	1399	1466	1318	6,14,75,011 / -
2.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948.	143	79	124	98	31,13,962 / -

ANNEXURE-'F' / अनुबन्ध- 'एफ'

Detail of the Budget of Haryana Labour Department allocated during the year 2016-17 under the Head 2230-Labour & Employment. (In lacs)

I) NON PLAN SCHEMES				Amt. in Lacs
SR. No.	Non Plan Schemes	Budget Estimates 2016-17	Revised Estimates 2016-17	Expenditure December, 2016
1.	001-Direction and Administration [99] Headquarters Staff	428.00	425.85	299.93
2.	004 Research & Statistics [99] Research & Statistics Cell	62.50	57.79	36.23
3.	101- Industrial Relations [99] Industrial Relation	2131.00	1759.69	1273.02
4.	101- Industrial Relation [98] Industrial Tribunal / Labour Court, Faridabad, Rohtak and Ambala.	827.50	711.40	449.74
5.	102-Working conditions and safety (a) Health 95-Health.	1028.20	886.00	593.17
6.	102-Working conditions and safety (a) Inspection 96- Inspection.	157.50	134.92	78.45
7.	103- General Labour Welfare[99] Setting up of Labour Welfare Centre	85.50	82.83	39.81
8.	113- Improvement in working Conditions of Child /Women Labour [99] Direction & Administration	53.70	46.70	20.53
	Total	4773.90	4105.18	2790.88

II) PLAN SCHEMES				Amt. in Lacs
	Name of the Schemes	Budget Estimates 2016-17	Revised Estimates 2016-17	Exp. Upto December, 2016
1.	102-working condition and Safety (a) Inspection (P) 98- Strengthening of Safety and Health inspection in Factories.	4.30	1.00	0.13
2.	102-working condition and Safety (a) Inspection (P) 94- Setting up of Major Accident Hazard Control Cell (P)	14.00	12.00	5.53
3.	102-working condition and Safety (a) Inspection (P) 93- Providing of mobile vans for facilitating the health care of workers working in factories(P)	26.15	22.00	8.97
4.	102-working condition and Safety (a) Inspection (P) 92- Establishing two industrial hygiene laboratories (IHL) at Gurgaon and Faridabad (P)	16.00	7.00	4.56
5.	112-Rehabilitation of Bonded Labour (50:50 sharing basis) 99- Rehabilitation of Bonded Labour i) Rs. 250000-SS ii)Rs. 250000-CS Total 500000	5.00	5.00	0.00
6.	98- Survey of Bonded Labour (100% CSS)	0	0	0.00
7.	113-Improvement in working Conditions of Child/Women (P) 98- Setting up of Child Labour Cell for implementation of National Prog. Of Elimination of Child Labour	9.50	9.50	2.88
8.	113-Improvement in working Conditions of Child/Women (P) 97- Rehabilitation of Destitue and Migrant Child Labour (P)	78.20	70.00	33.56
9.	800-Other Expenditure 99-Computerization of Labour Department(P)	215.00	215.00	17.19
10.	201-Labour [97]- Purchase of Plot for Construction of Labour Court Complexes.	200.00	200.00	0.00
11.	201-Labour [96]- for construction of Labour Court Complex	350.00	350.00	96.31
	Total	918.15	891.50	169.13